सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## साधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 31 राँची, बुधवार 15 अग्रहायण, 1939 (श०) / 6 दिसम्बर, 2017 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

**भाग 1**–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 918-929

**भाग 1–क**–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

**भाग 1–ख**--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

**भाग 1-ग**–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

**भाग-2**–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

**भाग-2**–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

**भाग 3**–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

**भाग-4**–झारखण्ड अधिनियम

**भाग-5**–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

**भाग-7**–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

**भाग-8**- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

**भाग-9**- विज्ञापन ---

**भाग-9-क**–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

**भाग-9-ख**–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

**पूरक**-- ... ...

**पूरक "अ"** ... ...

# भाग 1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

---

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

---

अधिसूचना

13 नवम्बर, 2017

**संख्या-09/आरोप राँची-116/2016-5442 (09)/रा.,--** श्री सहदेव मेहरा, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, राँची सम्प्रति निलंबित को सी.बी.आई. काण्ड संख्या-आर.सी.-**07** (एस.)/**2013** के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-**4696/**रा., दिनांक **15 सितम्बर**, **2017** द्वारा दिनांक **28 अगस्त**, **2017** से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है ।

**3.** निलंबन अवधि में श्री मेहरा का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दाक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राम कुमार सिन्हा**,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

# राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

---

राज्यादेश

24 नवम्बर, 2017

**संख्या-05/स० भू० कोडरमा रेल (DFCCIL)-192/17-5671/रा०,--**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **14 नवम्बर, 2017** में मद संख्या-**06** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में कोडरमा जिलांतर्गत अंचल-जयनगर एवं कोडरमा के मौजा-बेहराडीह एवं बेलाटांड़ के विभिन्न, थाना सं०, खाता सं० एवं प्लॉट सं० में अंतर्निहित कुल रकबा **0.1560** एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**I**) विभागीय परिपत्र संख्या-**4306/**रा०, दिनांक **24 अगस्त, 2014** की कंडिका-**2 (i)** के अनुसार निर्धारित दर के आधार पर संगणित सलामी राशि-**26,94,644/-(**छब्बीस लाख चौरानवे हजार छः सौ चौवालीस) रूपये मात्र, सलामी का **5** प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान का **25** गुणा पूँजीकृत मूल्य की राशि **33,68,305/-(**तैंतीस लाख अड़सठ हजार तीन सौ पाँच) रूपये मात्र, लगान का **145%** सेस का **25** गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि **48,84,043/- (**अड़तालीस लाख चौरासी हजार तैंतालीस) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **1,09,46,992/- (**एक करोड़ नौ लाख छियालीस हजार नौ सौ बानवे) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक -**II**) रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अदायगी पर **DFCCIL** विशेष रेल परियोजना हेतु विशेष रेल परियोजना **DFCCIL** भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में ।

**आदेशः- स्वीकृत ।**

**i)** इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, कोडरमा प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातां एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

**ii)** उपायुक्त, कोडरमा यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के तहत् सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति

प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

**iii)** संबंधित उपायुक्त द्वारा खासमहाल मेनुएल में विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश/परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

**iv)** यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

**v)** यदि परियोजना के अंतर्गत अवसंरचना आदि है तो अधियाची विभाग द्वारा अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था कराया जाना उपायुक्त, कोडरमा सुनिश्चित करा लेंगे ।

**vi)** राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अगस्त, 2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2 (I**) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

**vii)** राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अगस्त, 2014** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

**viii)** जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

अनु०-यथोपरि।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**उदय प्रताप**,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

## अनुलग्नक –I

## भूमि की विवरणी :

| क्र० | अभिलेख संख्या | अंचल | मौजा | थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा (एकड़ में) | भूमि का किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/2017-18 | कोडरमा | बेलाटांड़ | 246 | 31 | 16 | 0.1260 | परती |
| 2 | 21/2017-18 | जयनगर | बहराडीह | 143 | 81 | 1377 | 0.03 | परती कदीम |
| | | | | | | कुल | **0.1560** | |

## अनुलग्नक –I I

## मूल्य गणना विवरणी :-

| **क्र.** | **अभिलेख संख्या/ ग्राम** | **रकबा (एकड़ में)** | **बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)** | **सलामी (रूपये में)** | **लगान का 5% सेस का पूंजीकृत मूल्य (रूपये में)** | **लगान का 145% सेस का पूंजीकृत मूल्य (रूपये में)** | **कुल देय राशि (5+6+7) (रूपये में)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 18/2017-18 | 0.1260 | 21178685 | 2668514.31 | 3335642.89 | 4836682.19 | 10840839.38 |
| 2 | 21/2017-18 | 0.03 | 871000 | 26130.00 | 32662.50 | 47360.63 | 106153.13 |
| | कुल | **0.1560** | | 2694644.31 या 2694644 | 3368305.39 या 3368305 | 4884042.81 या 4884043 | 10946992.51 या 10946992 |

अर्थात एक करोड़ नौ लाख छियालीस हजार नौ सौ बानवे रूपये मात्र ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

# राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

---

राज्यादेश

27 नवम्बर, 2017

**संख्या-4/स०भू० राँची (अक्षय पात्र)-98/17-5672/रा०,--**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **21 नवम्बर, 2017** के मद संख्या-**07** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**22 फरवरी, 2006** के मद संख्या-**28** में लिये गये निर्णय के आलोक में निर्गत राज्यादेश संख्या-**1041/**रा०, दिनांक **24 मार्च, 2006** द्वारा **1** रूपये टोकन सलामी पर सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लान्ट की स्थापना हेतु पंतजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार को लीज पर बंदोबस्ती को रद्द करते हुए राँची जिलान्तर्गत अंचल बुण्डु, मौजा-दामी, थाना सं०-**89**, खाता सं०-**101**, प्लॉट सं०-**904, 907, 39** एवं **126**, रकबा क्रमशः **41.65** एकड़, **7.15** एकड़, **9.46** एकड़ तथा **4.00** एकड़ अर्थात् कुल रकबा-**62.26** एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-**I**) **1** रूपये टोकन सलामी की अदायगी पर **Cultural-cum-Educational Complex, Residential School, Goshala, International School, Community Hall and Akshaya Patra Centralized Kitchen** की स्थापना हेतु **Great India Talent Foundation** (महान भारत प्रतिभा संस्थान) को नवीकरण विकल्प के साथ **30 (**तीस) वर्षों के लिए लीज बन्दोबस्ती के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत। इस शर्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि संदर्भित भूमि **1/-** रूपये के टोकन सलामी पर **Great India Talent Foundation** (महान भारत प्रतिभा संस्थान) को **30 (**तीस) वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ लीज बंदोबस्त किया जाय तथा टोकन राशि के आधार पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क प्रभार्य (**Chargeable**) किया जाय ।

**i.** इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती की जा रही है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।

**ii.** उपायुक्त**,** राँची प्रस्तावित भूमि की लीज बंदोबस्ती से संबंधित खाता एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे ।

**iii.** यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची संस्थान से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

**iv.** आदेश निर्गत होने के छः माह के अन्तर्गत राशि कोषागार में जमा करा लेने के पश्चात ही एकरारनामा निष्पादित किया जायेगा ।

**v.** अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०**,** दिनांक **24 अक्टूबर**, **2014,** संकल्प संख्या-**48/**रा०**,** दिनांक **3 जनवरी, 2017** एवं खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

अनु०-यथोपरि ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**

**उदय प्रताप**,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

# अनुलग्नक -I
# भूमि का विस्तृत विवरणी

| जिला | अंचल | मौजा/थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट नं० | रकवा (एकड़ में) | किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राँची | बुण्डु | दामी/89 | 101 | 904 | 41.65 | गैरमजरूआ |
| | | | | 907 | 7.15 | खास |
| | | | | 39 | 9.46 | |
| | | | | 126 | 4.00 | |
| कुल | | | | | **62.26** | |

---

# राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

---

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2017

**संख्या-02/रा.स्था.-11/2016-5698/रा.,--** श्री दीपु कुमार, झा.प्र.से., सेवाप्राप्त (प्रथम बैच, गृह जिला-गिरिडीह) को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला-खरसावाँ का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है ।

**संख्या-02/रा.स्था.-11/2016-5699/रा.,--** श्री संजय पी.एम. कुजूर, झा.प्र.से., सेवाप्राप्त (कोटि क्रमांक-782/03, गृह जिला-राँची) को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है ।

अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित पदाधिकारी श्री दीपु कुमार को स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

नव पदस्थापित पदाधिकारी अपने नवपदस्थापित स्थल पर अविलम्ब योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राम कुमार सिन्हा,**
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

# राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

---

## अधिसूचना

30 नवम्बर, 2017

**संख्या- 13/नि० स्टाम्प-किफायती आवास विमुक्ति-02/2017-929/ni.,--** भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-9 एवं उपधारा- (1) तथा निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखण्ड द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित होने वाले किफायती आवास के निबंधन के लिए मात्र एक रूपये मुद्रांक शुल्क तथा मात्र एक रूपये निबंधन शुल्क प्रभार्य किया जाता है ।

2. यह प्रावधान अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

3. प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2017 में मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**कमल किशोर सोन,**
सरकार के सचिव ।

---

# राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

---

## अधिसूचना

29 नवम्बर, 2017

**संख्या-13/नि० स्टाम्प-किफायती आवास विमुक्ति- 02/2017-930/ni.--** निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखण्ड द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित होने वाले किफायती आवास से संबंधित संयुक्त विकास एकरारनामा (Joint Development Agreement) के निबंधन के लिए निम्नांकित शुल्क निर्धारित की जाती हैः-

| क्र०सं० | मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य | निबंधन शुल्क |
|---|---|---|
| 1 | जब मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य 30 लाख रूपये से अधिक न हो, | 5,000/-<br>(पाँच हजार रूपये मात्र) |
| 2 | जब मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य 30 लाख रूपये से अधिक किन्तु 60 लाख रूपये से अधिक न हो, | 7,000/-<br>(सात हजार रूपये मात्र) |
| 3 | जब मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य 60 लाख रूपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रूपये से अधिक न हो, | 10,000/-<br>(दस हजार रूपये मात्र) |
| 4 | जब मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य 1 करोड़ रूपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ 50 लाख रूपये से अधिक न हो, | 20,000/-(बीस हजार रूपये मात्र) |
| 5 | जब मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य 1 करोड़ 50 लाख रूपये से अधिक किन्तु 3 करोड़ रूपये से अधिक न हो, | 40,000/-<br>(चालीस हजार रूपये मात्र) |
| 6 | जब मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य 3 करोड़ रूपये से अधिक हो, | 70,000/-<br>(सत्तर हजार रूपये मात्र) |

2. यदि प्रोमोटर/बिल्डर द्वारा ऐसे किफायती आवासों के निर्माण हेतु संयुक्त विकास इकरारनामा का निबंधन करा कर अन्य प्रकार के आवास का निर्माण करता है तो इन्हें राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की सामान्य डेवलपमेंट एग्रीमेंट हेतु निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक-1/न०वि०-22/15 (खण्ड-1)-1418, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 में वर्णित शुल्क जो डेवलपमेन्ट एग्रीमेंट में सन्निहित भूमि के बाजार का 2.5 प्रतिशत (दो दशमल्व पाँच प्रतिशत) है, का दुगुणा सरकारी कोष में जमा करना होगा ।

3. प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2017 में मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

4. इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या-1418, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**कमल किशोर सोन,**
सरकार के सचिव ।

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 31--50 ।